कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 160/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

- **जान से मारने की नियत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद ।**

आजमगढ़। थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 27.04.2026 को वादी **जगदम्बा सिंह पुत्र स्व0 सुरेश सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़** की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोप है कि वादी के पोते को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के बाद विपक्षियों द्वारा एकजुट होकर लाठी-डंडा, लोहे की राड व ईंट से हमला किया गया, जिसमें वादी व उसकी बहन घायल हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 133/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.04.2026 को उ0नि0 आदिल खान मय हमराह का0 सन्दीप यादव द्वारा अभियुक्त शनि प्रजापति पुत्र सतानन्द प्रजापति निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर को प्राथमिक विद्यालय गौरा के पास से समय 14:09 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की राड बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त – शनि प्रजापति पुत्र सतानन्द प्रजापति निवासी ग्राम गौरा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 133/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
बरामदगी – घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की राड।
गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 आदिल खान मय हमराह का0 सन्दीप यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

• गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित चोरी व छिनैती गैंग का सदस्य गिरफ्तार
• शातिर अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज

आजमगढ़। थाना देवगांव क्षेत्र में चोरी व छिनैती की घटनाओं में संलिप्त गैंग के विरुद्ध की गई कार्रवाई के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दीपक कुमार पुत्र मंगेराम निवासी अहमदगढ़ थाना झींझाना जनपद शामली गैंग का सरगना है, जो अपने सहयोगी सुरेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी बिरालियन थाना झींझाना जनपद शामली के साथ मिलकर जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, छिनैती व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु दिनांक 14.03.2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 22.03.2026 को थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उक्त गैंग से संबंधित विभिन्न घटनाओं में चोरी, छिनैती, वाहन चोरी तथा पुलिस पर फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों के मामले पंजीकृत हैं, जिनमें अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 27.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में उ0नि0 शकील अहमद खां मय हमराह टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी बिरालियन थाना झींझाना जनपद शामली (उम्र 22 वर्ष) को उसके गृह ग्राम से समय 17:30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त – सुरेश कुमार पुत्र रामलाल निवासी बिरालियन थाना झींझाना जनपद शामली, उत्तर प्रदेश।
पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 104/2026 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 313/2024 धारा 304, 317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 257/24 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना मेहनगर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 393/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 417/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना देवगांव, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 56/25 धारा 305, 317(2), 331(4) बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 77/25 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना देवगांव, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 101/25 धारा 109, 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 104/2026 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्र0नि0 विमल प्रकाश राय, थाना देवगांव, आजमगढ़
2. उ0नि0 शकील अहमद खां, थाना देवगांव, आजमगढ़
3. उ0नि0 लाल बिहारी यादव, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़
4. हे0का0 अभिमन्यु कुमार शाह, थाना देवगांव, आजमगढ़

अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
• फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
• पासपोर्ट, आधार कार्ड व नकदी बरामद

आजमगढ़। थाना जीयनपुर क्षेत्रान्तर्गत आगन्तुका तबस्सूम पुत्री स्व0 निहालुद्दीन निवासी नौशहरा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त नेहाल हासिम द्वारा अपना वास्तविक नाम-पता व मुकदमा छिपाकर वर्ष 2017 में फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 190/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादंवि व 12(1)(b) पासपोर्ट अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.04.2026 को व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेरमा गेट के पास से अभियुक्त नेहाल हासिम पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी चकसिकठी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ (उम्र करीब 41 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक भारतीय पासपोर्ट, एक आधार कार्ड तथा ₹200/- नकद बरामद हुआ। अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त – नेहाल हासिम पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी चकसिकठी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 190/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादंवि व 12(1)(b) पासपोर्ट अधिनियम थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 190/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादंवि व 12(1)(b) पासपोर्ट अधिनियम थाना जीयनपुर
2. मु0अ0सं0 23/2009 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर

बरामदगी – एक अदद भारतीय पासपोर्ट, एक अदद आधार कार्ड, ₹200/- नकद।
गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 परमात्मा मिश्रा, थाना जीयनपुर
2. का0 शैलेश कुमार यादव, थाना जीयनपुर

अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

• जान से मारने की नियत से हमला करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
• घटना में प्रयुक्त लोहे की राड व बेत बरामद

आजमगढ़। थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 26.04.2026 को पुरानी रंजिश के चलते विपक्षीगण द्वारा वादी व उसके भाई पर सठियांव स्थित दुकान पर लाठी-डण्डा, लोहे की राड व चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 158/26 धारा 3(5), 109(1), 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है।
वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 27.04.2026 को उ0नि0 नीरज शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर भटौरा अंडरपास के पास से अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र चन्द्रबली यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर

जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 48 वर्ष) को समय 23:46 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की राड व एक अदद लकड़ी की बेत बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त – दुर्गेश यादव पुत्र चन्द्रबली यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 158/26 धारा 3(5), 109(1), 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।

बरामदगी – एक अदद लोहे की राड व एक अदद लकड़ी की बेत।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 नीरज शुक्ला मय हमराह।

अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

• साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़िता के ₹25,000/- वापस कराए गए
• त्वरित कार्रवाई कर बैंक खाते में धनराशि होल्ड कराकर न्यायालय आदेश से रिफंड

आजमगढ़। थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत आवेदिका श्रीमती खुशबू मध्देशिया पत्नी प्रदीप मध्देशिया निवासी ग्राम मानिकपुर के खाते से दिनांक 24.10.2025 को साइबर ठगी के माध्यम से ₹25,000/- की धनराशि फ्रॉडस्टर द्वारा निकाल ली गई थी। इस संबंध में आवेदिका के पति प्रदीप कुमार द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत संख्या 33110250147026 दर्ज कराई गई थी।

प्राप्त शिकायत पर थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय कर उक्त धनराशि को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर पीड़िता की ₹25,000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में वापस कराई गई।

बरामदगी/वापसी – ₹25,000/- (साइबर फ्रॉड की धनराशि) पीड़िता के खाते में वापस।

पुलिस टीम – साइबर टीम थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 28.04.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
• 2.430 किग्रा नाजायज गांजा के साथ अन्तरजनपदीय शातिर तस्कर गिरफ्तार
• 310 पुड़िया गांजा बरामद, एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी के निर्देशन में उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.04.2026 को नरौली के दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास से अभियुक्त नन्दलाल पुत्र स्व0 बचाऊ निवासी जमूरपुर उर्फ शाकिबपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 65 वर्ष) को समय 21:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 310 पुड़िया (कुल 2.430 किग्रा) नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा काफी समय से गांजा तस्करी में संलिप्त होना स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त – नन्दलाल पुत्र स्व0 बचाऊ निवासी जमूरपुर उर्फ शाकिबपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 140/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी
2. मु0अ0सं0 10/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रानी की सराय

बरामदगी – 310 पुड़िया (कुल 2.430 किग्रा) नाजायज गांजा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी मूसेपुर
2. हे0का0 शम्भू कुमार
3. का0 हरिभान सिंह
4. का0 विवेक शर्मा
5. का0 अजीत कुमार सिंह

अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।